अनुसूचित जातियों के संगठनों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ; यदि नहीं, तो दोनों संगठनों को दी जाने वाली अनुदान-सहायता का अनुपात क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने समाज कल्याण बोर्डों के संविधान को तीन बार संशोधित किया है जबकि अनुसूचित जातियों के समाज सेवी संगठनों के संविधान का एक बार भी पुनर्विचार तथा संशोधन नहीं किया गया है ; यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई कदम उठाये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण कार्यकलापों में लगे संगठनों/संस्थानों को किए गए खर्च या सभी स्रोतों से आय की गणना करने के पश्चात् घाटा जो भी कम हो 90 प्रतिशत सहायक अनुदान प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विषायक निदेशालय, दिल्ली प्रशासन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान योजनायें कार्यान्वित कर रहा है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे संगठन पहले तीन वर्षों के लिए अपने बजट का 80 प्रतिशत और उसके पश्चात् 50 प्रतिशत सहायक अनुदान प्राप्त करते हैं।

दिल्ली राज्य बोर्ड के लिए ऐसा कोई संगठन नहीं है। बोर्ड का पुनर्गठन दिल्ली प्रशासन की एक अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के परामर्श से 2 से 3 वर्ष तक की अवधि के लिये किया जाता है। दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का पुर्नगठन 2 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली प्रशासन के दिनांक 31 जुलाई, 1982 की अधिसूचना द्वारा किया गया था। 10 सितम्बर, 1986 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार इसका कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1986 तक है। जहां तक अनुसुचित जातियों के समाज सेवा संगठन का संबंध है, दिल्ली प्रशासन में एक अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति बोर्ड है जिसका पुनर्गठन प्रतिवर्ष किया जाता है।

Construction of roads in Mahdya Pradesh

†3454-B. SHRI KESHAV PRASAD SHUKLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Madhya Pradesh Government has submitted certain proposals for the construction of roads in dacoit infested areas of Madhya Pradesh under the Dacoit Elimination Scheme and has sought Centre's approval and financial assistance in this regard;

(b) if so, what are the salient features of the proposals of the State Government and whether the financial sanction has been accorded in this regard; and

(c) if financial sanction has not so far been accorded, by when it is likely to be accorded?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) During 1985-86 the Government of Madhya Pradesh had sent a proposal for construction of 2 roads in dacoit-infested areas, viz. Bargawan-Palpur road measuring 25 kms. in Morena district with estimated cost of Rs. 132 lakhs and Bharoli-Awayan road measuring 15 kms. in Bhind district with estimated cost of Rs. 79.20 lakhs. These works were sanctioned during 1985-86 and an amount of Rs

†Previously Unstarred Question 2988 transferred from the 3rd December, 1986.

1.04 crores was released to the State Government. During 1986-87 the State Government sent another proposal for construction of 13 additional roads. Of these, 12 roads (list given in the statement below) were sanctioned by the Government of India. One road was dropped due to shortage of funds. No release of funds has been made during the current year so far because of non-receipt of progress of expenditure out of the funds released last year.

(c) The question does not arise.

Statement

Road Development Programmes for dacoit infested areas of Madhya Pradesh 1986-87

Name of the roads	Length (Km.)	Estimated cost (Rs. in crores)
District Gwalior:		
1. Rangawan-Nakartal road	25·00	2·000
2. Danda-Chirak-Tighra-Tilawali road	34·40	2·752
3. Gijora Deogarh Road.	15·00	1·200
District Shivpuri:		
4. Goverdhan Umri road	11·50	0·920
5. Berad Dhorya via Jaria Gazigarh road	13·50	1·080
District Damoh:		
6. Rajpura Silapuri Bajna road	12·60	1·008
7. Ahouriya Shahgarh Road	4·00	0·320
8. Kerbanp-Bamori road	12·60	1·008
District Chhatarpur:		
9. Kishangarh-Paluka road	26·20	2·096
District Morena:		
10. Nirar-Pahargarh road	25·40	2·032
District Bhind:		
11. Khajuri-Daboh road	17·4	1·392
12. Sandha Tehnagar-Tandri road.	24·0	1·920
	221·60	17·728

विभिन्न जातियों के नामों के उच्चारण में अन्तर होने के कारण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण लाभ न दिया जाना

@3454. **श्री राम नरेश कुशवाह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरक्षण संबंधी प्रामाणिक सूचियों में जातियों के नाम की अंग्रेजी वर्तनी और हिन्दी वर्तनी अलग-अलग होने के कारण कुछ पिछड़े वर्गों के लोग अथवा जिन्हें आरक्षण की सुविधाएं दी गई हैं, आरक्षण संबंधी सुविधाओं से लाभ नहीं उठा पाते हैं,

@ पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 3161, 4 दिसम्बर, 1986 से स्थानान्तरित ।